न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 26 / 2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 बनारसा उम्र 65 वर्ष पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खींवसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
2 बुद्धराम उम्र 63 वर्ष पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खींवसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम बखिलाफ निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी सं. 1342 / 2015 उनवानी बनारसा बनाम बुद्धराम निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.02.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 27 / 2018

1 बनारसा उम्र 65 वर्ष पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खींवसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

2 बुद्वराम उम्र 63 वर्ष पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम खींवसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम बखिलाफ निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मु.नं.341/2015 उनवानी बनारसा बनाम बुद्वराम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2018

उपस्थित

1. श्री मदनसिंह गिल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धीरज कुमार गोयल अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री तरूण कुल्हरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–30.01.2019

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 341/2015, 342/2015 में पारित अलग–अलग निर्णय दिनांक 12.02.2018 के विरूद्व अलग–अलग प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

की गई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार समान होने से दोनों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जायेगी।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दावा संख्या 341/2015 में वादी अपीलांट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 47,59 के सन्दर्भ में दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड प्रस्तुत किया। इसी प्रकार दावा संख्या 342/2015 में वादी अपीलांट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 332,383 के सन्दर्भ में दावा घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दोनों वाद आंशिक रूप से डिक्री किये है। जिसके विरूद्व यह दोनों अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि बनारसी को पक्षकार इसलिए नही बनाया गया था क्योंकि काफी अर्से पूर्व से ही वह गांव में नही रहती है यदि न्यायालय उचित समझता है तो उसे पक्षकार बनाने के निर्देश के साथ पुन सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपीलांट के तर्को से सहमती व्यक्त करते हुये प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में बनारसी पत्नी नन्दा और किस्तुरी पुत्री नाराणा रिकार्डेड खातेदार है उन्हे पक्षकार बनाये बिना प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना विधि सम्मत नही है उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सहमती के उपरान्त प्रकरण में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किये जाते है कि उपरोक्तानुसार रिकार्डेड खातेदार को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर विधिक प्रकिया अपनाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर प्रकरण में पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को उपस्थिति देवें।

आदेश आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

30.1.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर